13/12/2021

अल्पकालीन निविदा-सूचना

संयुक्त मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन लखनऊ के पत्र संख्या 3693/1504 / आजीविका / 2021-22 दिनांक 3-12-2021 द्वारा जारी निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में आईसीआरपी ड्राइव के संचालन / मोबिलाइजेशन / प्रशिक्षण मीटिंग / वर्कशॉप एवं अन्य कार्यों के आवश्यकतानुसार समय-समय पर संचालन एवं इसी क्रम में दिनांक 21-12-2021 को मिशन निदेशालय द्वारा जनपद प्रयागराज में प्रायोजित वृहद कार्यक्रम में लगभग 800 से 1000 प्रतिभागियों (बी0सी0 सखी, सामूहिक शौचालयों का रखरखाव करने वाली स्वयं सहायता समूहों की दीदियो, टेक होम राशन से संबंधित सदस्य, कन्या सुमंगला एवं सामूहिक विवाह योजना के लाभार्थी आदि को जनपद प्रयागराज ले जाने एवं लाने हेतु वाहन गुणवत्ता पूर्ण आपूर्ति व्यवस्था सहित वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त कार्य / सेवाओं की समय-समय पर मांग के आधार पर आपूर्ति के लिए कार्यभार दरें प्राप्त करते हुए ट्रैवल एजेंसी आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु निम्नानुसार कार्यभार पृथक पृथक मुहरबंद निविदाएं दिनांक 16-12-2021 की अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन समय 3:30 बजे निविदाताओ की उपस्थिति में समिति के समस्त खोली जाएंगी । यदि उक्त निविदा प्राप्त करने एवं खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा प्राप्ति एवं खोलने की तिथि अगले कार्य दिवस होगी। इच्छुक ट्रैवल एजेंसी / फर्म / आपूर्तिकर्ता अपनी मुहरबंद निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर दिनांक 16-12-2021 अपरान्ह 2.00 बजे तक विकास भवन स्थित उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

कार्य विवरण दर अनुबन्ध पर वाहन सेवा हेतुः-

1. बस 54 से 62 सीटर
2. मिनी बस 22 से 32 सीटर
3. बोलेरो / स्कार्पियो / इनोवा

निविदा की शर्तेः-

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य कार्य हेतु 766 रुपए (500+225+41)होगा, जिसे उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय अमरोहा में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 15-12-2021 तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र में निविदा प्रपत्र के साथ कार्य हेतु रुपए 15000 की धरोहर राशि बैंक एफ0डी0आर0 /एन0एस0सी0 उपायुक्त-स्वतः रोजगार अमरोहा के पक्ष में बंधक कराकर जमा करनी होगी उक्त धरोहर राशि रिफंडेबल होगी, किंतु चयनित ट्रैवल एजेंसी/फर्म द्वारा निविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर उक्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
3. दिनांक 21-12-2021 को कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
4. चयनित ट्रेवल एजेंसी/ फर्म को उपरोक्त दिनांक 21-12-2021 को कार्यक्रम एवं शेष वित्तीय वर्ष 2021-22 में समय-समय पर संचालित / आयोजित होने वाले अन्य लघु एवं वृहद कार्य / कार्यक्रमो हेतु वाहनो की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति / व्यवस्था निर्धारित समय पर वाछिंत मात्रा में निविदा में दी गई दरों पर कार्यक्रम स्थल यथा विकास भवन / विकास खंडों पर करनी होगी।
5. शर्तें लगी निविदा मान्य नहीं होगी।
6. चयनित ट्रेवल एजेंसी द्वारा लगाए गए वाहन हेतु चालक पीओएल एवं वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, परमिट आदि की अद्यतन उचित व्यवस्था यात्रा से पूर्व स्वयं के स्तर से पूर्ण करनी होगी, ताकि यात्रा में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का सामना न करना पड़े। किसी भी प्रकार की वाहन दुर्घटना एवं इसके फलस्वरूप होने वाली हानि पुलिस कार्रवाई आदि की संपूर्ण जिम्मेदारी ट्रैवल एजेंसी की होगी अधोहस्ताक्षरी स्तर से कार्य के सापेक्ष केवल चयनित दरो पर बिल का भुगतान किया जाएगा ।
7. ट्रैवल एजेंसी / फर्म को GST में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

8. ट्रैवल एजेंसी / फर्म को GST नंबर एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. निविदा प्रपत्र के साथ एक सौ रुपए का नाम जुडिशल स्टांप पेपर एक रुपए की रेवेन्यू टिकट का होना अनिवार्य है जिस पर चयनित आपूर्तिकर्ता/ सेवा प्रदाता एवं अधोहस्ताक्षरी के मध्य दर अनुबंध किया जाएगा।
10. स्वीकृत निविदा के अनुसार संबंधित ट्रेवल एजेंसी / फर्म के बिल से भुगतान करते समय नियमानुसार आयकर / GST की कटौती की जाएगी।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत करने अथवा समस्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा।
12. किसी विवाद के निस्तारण की स्थिति में उपायुक्त स्वतः रोजगार अमरोहा को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
13. शेष अन्य नियम व शर्तें कार्यालय उपायुक्त स्वतः रोजगार अमरोहा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

उपायुक्त (स्वतः रोजगार)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
जनपद- अमरोहा

कार्यालय उपायुक्त (स्वतः रोजगार), जनपद- अमरोहा ।

पत्रांक 247 / लेखा / एन0आर0एल0एम0 / ट्रेडंर पत्रा0 / 2021-22 दिनांकः 11-12-2021

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- संपादक हिन्दुस्तान /अमर उजाला अमरोहा को इस आश्य से कि उक्त निविदा को डी0वी0ए0पी0 की निर्धारित न्यूनतम दरों पर न्यूनतम स्थान में दैनिक समाचार पत्र में आज ही प्रकाशित कराकर जिला सूचना अधिकारी से बिल सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केंद्र अमरोहा को इस आश्य से कि उक्त निविदा सूचना को एनआईसी की साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. नाजिर कलैक्ट्रेट / नाजिर विकास भवन / समस्त खंड विकास अधिकारी जनपद अमरोहा को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
6. लोकल समाचार पत्र अमर भारती को प्रकाशन हेतु।

उपायुक्त (स्वतः रोजगार)
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
जनपद- अमरोहा